"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2014—फाल्गुन 16, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आइशा खान पति श्री मोहम्मद मुशीर खान, निवासी जुनी लाइन बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मैं कुमारी पुष्पा राई पिता स्व. धनबहाद्दुर राई के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 10-6-2013 को श्री मोहम्मद मुशीर खान पिता मोहम्मद नजीर खान के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम आइशा खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे आइशा खान पति श्री मोहम्मद मुशीर खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी पुष्पा राई पिता-स्व. धनबहादुर निवासी-दादा भाई की चाल, जुनी लाईन, वार्ड नं. 19 बिलासपुर (छ.ग.)	आइशा खान पति-श्री मोहम्मद मुशीर खान निवासी-दादा भाई की चाल, जुनी लाईन, वार्ड नं. 19 बिलासपुर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनीराम सोनवानी पिता स्व. अनंदराम सोनवानी, उम्र 44 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 15, ब्लाक नं. 6, सड़क 14, सेक्टर 4, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धनीराम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम सोनवानी जोड़कर अपना नया नाम धनीराम सोनवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे धनीराम सोनवानी पिता स्व. अनंदराम सोनवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
धनीनाम (DHANIRAM) पिता-स्व. अनंदराम निवासी-क्वा. नं. 15, ब्लाक नं. 6, सड़क नं. 14, सेक्टर 4, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	धनीनाम सोनवानी (DHANIRAM SONWANI) पिता-स्व. अनंदराम सोनवानी निवासी-क्वा. नं. 15, ब्लाक नं. 6, सड़क नं. 14, सेक्टर 4, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जी. कामाय्या राव (G. KAMAYYA RAO) आत्मज स्व. श्री जी. पोतय्या (G. POTHAYYA) उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क नं. 17, सेक्टर 7, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में चिकित्सा सहायक के पद पर कार्यरत हूं. मेरे विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवंश जी. कामाय्या दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम राव जोड़कर अपना नया नाम जी. कामाय्या राव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जी. कामाय्या राव पिता स्व. जी. पोतय्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जी. कामाय्या (G. KAMAYYA) पिता-स्व. जी. पोतय्या निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क नं. 17, सेक्टर 7, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	जी. कामाय्या राव (G. KAMAYYA RAO) पिता-स्व. जी. पोतय्या निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क नं. 17, सेक्टर 7, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति मंजू सिंह पति श्री युवराज सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी.-2, 429 हुडको भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं अपनी उपनाम सिंह को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती मंजू चौहान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति मंजू चौहान, पति श्री युवराज सिंह के नाम से जाना, पहंचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति मंजू सिंह पति-श्री युवराज सिंह निवासी-एम.आई.जी.-2, 429 आमदीनगर हुडको भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमति मंजू चौहान पति-श्री युवराज सिंह निवासी-एम.आई.जी.-2, 429 आमदीनगर हुडको भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश चन्द ललवानी पिता श्री मंगलचन्द ललवानी, आयु 47 वर्ष, निवासी-एल.आई.जी.-17, वैशाली नगर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं अपने उपनाम ललवानी को परिवर्तित कर अपना नया नाम सुरेश चन्द जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः आब मुझे सुरेश चन्द जैन पिता श्री मंगल चन्द ललवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुरेश चन्द ललवानी पिता-श्री मंगलचन्द ललवानी निवासी-एल.आई.जी.-17, वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	सुरेश चन्द जैन पिता-श्री मंगलचन्द ललवानी निवासी-एल.आई.जी.-17, वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शैला ललवानी पति श्री सुरेश चन्द ललवानी, आयु 44 वर्ष, निवासी-एल.आई.जी.-17, वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं अपनी उपनाम ललवानी को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती शैला जैन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शैला जैन पति श्री सुरेशचन्द जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती शैला ललवानी पति-श्री सुरेशचन्द ललवानी निवासी-एल.आई.जी.-17, वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती शैला जैन पति-श्री सुरेशचन्द जैन निवासी-एल.आई.जी.-17, वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थायें, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्रमांक/उपजां./परिसमापन/2014/138.—एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा के आदेश क्र./उपजां/परिसमापन/13/762 दिनांक 13-05-2013 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध में सूचित किया जाता है अधोलिखित समितियों से किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था को कोई लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय साक्ष्य अपना आपत्ति/दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन किसी सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों की कोई भी चल या अचल संपत्ति या समिति का अभिलेख/दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवें. निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/व्यक्ति या संस्था के पास

इन संस्थाओं से संबंधित कोई संपत्ति, अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते हैं, तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी.

अनुसूची

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र./दिनांक
1.	कुष्ठ सेवा आश्रम उपभोक्ता भंडार, मर्या. घोघरानाला	146/24-04-91
2.	कोसा बुनकर उद्योग सह. समिति मर्या. चोरिया	60/01-11-76
3.	संजय कोसा बुनकर सह. समिति मर्या., चोरिया	83/11-03-83
4.	सांई कोसा बुनकर सह. समिति मर्या., चांपा	94/04-09-84
5.	जय भारत कोसा बुनकर सह. समिति मर्या., चांपा	78/28-11-80
6.	सरस्वती कताई एवं बुनाई सह. समिति मर्या., सारागांव	—
7.	महावीर बुनकर सह. समिति मर्या., सारागांव	58/01-11-76
8.	सूती बुनकर सह. समिति मर्या., चोरिया	43/14-12-73
9.	स्वास्तिक बुनकर सह. समिति मर्या., कुरदा (चांपा)	118/23-11-98
10.	आदर्श ईंट भट्ठा सह. समिति मर्या., घोघरानाला	224/12-06-97
11.	महामाया रेत खदान सह. समिति मर्या., हथनेवरा	187/18-09-96
12.	श्रमिक रेत खदान सह. समिति मर्या., सारागांव	184/18-09-96
13.	श्री रामकृष्ण कंसारी उद्योग सह. समिति मर्या., चांपा	2890/23-03-60
14.	श्री कलेश्वर नाथ रेत खदान सह. समिति मर्या., चांपा	188/24-09-96
15.	गंगा कुष्ठ सामूहिक कृषि सह. समिति मर्या., प्रेमनगर	276/05-11-01
16.	महालक्ष्मी परिवहन सह. समिति मर्या., चांपा	81/12-12-96
17.	छ.ग. बीज उत्पादन सह. समिति मर्या., चांपा	248/25-03-00

ए. के. अग्निहोत्री,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.